रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 218] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 1977 ज्येष्ठ 3, 1899

No. 218] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 1977/JYAISTHA 3, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May 1977

S.O. 368(E).—The following Order made by the Vice-President acting as President is published for general information:—

ORDER

Whereas by a Proclamation issued on the 30th April, 1977 under Clause (1) of article 356 of the Constitution of India it has been declared that the powers of the Legislature of the State of Bihar shall be exercisable by or under the authority of Parliament ;

And whereas the Legislature of that State has authorised expenditure from the Consolidated Fund of that State for the services of a part of the financial year 1977-78 ;

And whereas the amount so authorised is found to be insufficient in cases of certain services ;

And whereas the House of the People is not in session and it is necessary to authorise expenditure from the Consolidated Fund of that State pending the sanction of such expenditure by Parliament ;

Now, therefore, in pursuance of sub-clause (c) of clause (1) of article 357 of the Constitution, I, Basappa Danappa Jatti, Vice-President acting as President of India, hereby authorise that, pending the sanction by Parliament, expenditure of sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule annexed hereto and amounting in the aggregate to the sum of eleven crores, forty-five lakhs rupees may be incurred from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar towards defraying the several charges during the financial year 1977-78 in respect of the services and purposes specified in column 2 of the said Schedule

THE SCHEDULE

S. No.	Demand No. and services and purposes	Sums not exceeding		
		Expenditure charged on the Consolidated Fund of the State of Bihar	Other expenditure to be met out of the Consolidated Fund of the State of Bihar	Total
1	2		3	
		Rs.	Rs.	Rs.
1	2—Council of Ministers, Elections, Secrt. and Distt. Administration	..	4,95,00,000	4,95,00,000
2	5—Land revenue and relief from Natural calamities	..	1,00,00,000	1,00,00,000
	10—Police, fire services and other Administrative services		4,00,00,000	4,00,00,000
4.	20—Agriculture and Animal Husbandry		1,00,000,00	1,00,00,000
5.	26—Industries	..	50,00,000	50,00,000
	TOTAL	..	11,45,00,000	11,45,00,000

BASAPPA DANAPPA JATTI,
Vice-President acting as President.

[N. F.3(68)-B(S)/77]
K. N. ROW, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 1977

का० आ० 368 (अ).—कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उपराष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश सर्व साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अधीन 30 अप्रैल, 1977 को जारी की गई उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया गया है कि बिहार राज्य के

विधानमंडल के अधिकारों का प्रयोग संसद् द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन किया जाएगा;

और चूंकि उस राज्य के विधान मंडल ने अपने राज्य की समेकित निधि में 1977-78 के वित्तीय वर्ष की एक अवधि की सेवाओं के लिए खर्च करने का प्राधिकार दिया है;

और चूंकि इस प्रकार प्राधिकृत रकम कुछ सेवाओं के सम्बन्ध में अपर्याप्त सिद्ध हुई;

और चूंकि लोक सभा का सत्र नहीं हो रहा है और यह आवश्यक है कि जब तक ऐसे खर्च के लिए संसद द्वारा स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक के लिए उस राज्य की समेकित निधि से खर्च करने का प्राधिकार किया जाए;

इसलिए, ऐसी परिस्थिति में संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) उपखंड (ग) के अनुसार मैं, बसप्पा दानप्पा जत्ती, उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति इस आदेश द्वारा प्राधिकार देता हूं कि संसद की स्वीकृति मिलने तक सलग्न अनुबन्ध के कालम 3 में निर्दिष्ट रकम से अनधिक जिसका कुल जोड ग्यारह करोड़ पैंतालीस लाख रुपए है, बिहार राज्य की समेकित निधि से उक्त अनुबन्ध के कालम 2 में निर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में 1977-78 के वित्तीय वर्ष में खर्च पूरा करने के लिए बिहार राज्य की समेकित निधि से निकाले जा सकते हैं ।

अनुबंध

क्रम संख्या	मांग संख्या और सेवाएँ और प्रयोजन	नीचे दी गई रकम से अनधिक		
		बिहार राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय	बिहार राज्य की समेकित निधि से पूरा किया जाने वाला अन्य व्यय	कुल
1	2		3	
		रुपए	रुपए	रुपए
1	2—मंत्रिपरिषद, निर्वाचन सचिवालय और जिला प्रशासन .	..	4,95,00,000	4,95,00,000
2	5—अ-राजस्व और दैवी विपत्तियों में सहायता कार्य . .	..	1,00,00,000	1,00,00,000

1	2		3	
3	10—पुलिस, अग्नि सेवाएं और अन्य प्रशासनिक सेवाएँ		4,00,00,000	4,00,00,000
4	21 कृषि और पशु पालन	..	1,00,00,000	1,00,00,000
5	26—उद्योग	..	50,00,000	50,00,000
			11,45,00,000	11,45,00,000

बसप्पा दानप्पा जत्ती,
कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करते हुए उपराष्ट्रपति ।

[सं० एफ० 3 (68)-बी (एस)/77]

के० एन० राव, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977